

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची**

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

**ऊर्जा विभाग**

**दिनांक 27.02.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
172	ता.प्र.सं.08 (क्र.1942) दि.27.02.2015 (श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी)	बड़वाह विधान सभा क्षेत्र में शेष 45 ग्रामों के फीडर विभक्तिकरण का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाना ।	45 ग्रामों का कार्य शेष है, जिसे माह अप्रैल 2015 तक पूर्ण किया जाना संभावित है ।		
173	परि.ता.प्र.सं.33 (क्र.1104) दि.27.02.2015 (श्री प्रहलाद भारती)	पोहरी विधान सभा क्षेत्र के शेष 138 ग्रामों में अटल ज्योति योजनान्तर्गत सघन विद्युतीकरण तथा 22 अविद्युतीकृत ग्रामों में शीघ्र विद्युतीकरण कराया जाना ।	(1) प्रपत्र ब-1 एवं ब-2 में दर्शाए गए कुल 160 ग्रामों में फीडर सेपरेशन/केबलीकरण का कार्य प्रगति पर है । प्रपत्र ब-1 में दर्शाए गए 138 ग्रामों में सघन विद्युतीकरण एवं प्रपत्र ब-2 में दर्शाए गए 22 अविद्युतीकृत ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य किया जाना है । (2) उक्त कार्य माह अक्टूबर 2015 तक पूर्ण किया जाना संभावित है । (3) लाईन विस्तार कर अक्टूबर 2015 तक पूर्ण किया जाना संभावित है ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची**

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

**ऊर्जा विभाग**

**दिनांक 27.02.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
174	परि.ता.प्र.सं.66 (क्र.1730) दि.27.02.2015 (श्रीमती पारूल साहू केशरी)	सागर जिले में दि.01.01.2010 से 31.01.2015 तक विद्युत कर्मचारियों के साथ हुई दुर्घटनाओं के लिये दोषी कर्मियों के विरुद्ध शीघ्र जांच कराई जाकर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना ।	(1) विभागीय जांच जारी है । (2) विभागीय जांच पूर्ण होने के उपरांत दोषी पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध आगे कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा ।		
175	अता.प्र.सं.15 (क्र.647) दि.27.02.2015 (श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया)	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत गुना एवं अशोकनगर जिलों के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत विद्युतीकरण के कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कराया जाना ।	निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
176	अता.प्र.सं.21 (क्र.786) दि.27.02.2015 (श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा)	अशोकनगर जिले के ग्राम विक्रमपुर में विद्युत उप केन्द्र का निर्माण वन विभाग की चौकी के समीप कराये जाने हेतु शीघ्र तकनीकी परीक्षण कराया जाना ।	तकनीकी परीक्षण उपरांत उपकेन्द्र हेतु स्थल परिवर्तन पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची**

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

**ऊर्जा विभाग**

**दिनांक 27.02.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
177	अता.प्र.सं.34 (क्र.916) दि.27.02.2015 (श्री राम सिंह यादव)	(1) म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, भोपाल के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों के लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराया जाना । (2)म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों के लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराया जाना।	(1) उक्त प्रकरणों का परीक्षण करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है ।  (2) उक्त प्रकरणों के परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रिया में है ।		
178	अता.प्र.सं.80 (क्र.1854) दि.27.02.2015 (डॉ.गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले के लहार विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत शेष 157 ग्रामों में सघन विद्युतीकरण का कार्य निर्धारित समयावधि में कराया जाना ।	शेष कार्य 30 जून 2015 तक पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।		
179	अता.प्र.सं.81 (क्र.1874) दि.27.02.2015 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में अतिभारित वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि तथा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर प्रतिष्ठापित किये जाने का कार्य शीघ्र कराया जाना ।	उक्त कार्य वर्ष 2015-16 में पूर्ण किये जाने के प्रयास हैं ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची**

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

**उच्च शिक्षा विभाग**

**दिनांक 27.02.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>180</b>	परि.ता.प्र.सं.08 (क्र.367) दि.26.02.2015 (श्री ठाकुरदास नागवंशी)	(1) प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के प्राध्यापकों एवं प्राचार्यों को यू.जी.सी. पुनरीक्षित छठवें वेतनमान की अंतर राशि (एरियर्स) का शीघ्र भुगतान कराया जाना। (2) सेवानिवृत्त प्राध्यापकों एवं प्राचार्यों को पुनरीक्षित यू.जी.सी. वेतनमान की अंतर राशि का (एरियर्स) का शीघ्र भुगतान कराया जाना।	(1) आगामी किशत का भुगतान भारत सरकार से 80 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति होने के पश्चात् किया जाना संभव हो पायेगा। (2) राशि प्राप्त होते ही कार्यरत् एवं सेवानिवृत्त प्राचार्य/प्राध्यापकों को भी एरियर राशि का भुगतान किया जाना संभव होगा।		
<b>181</b>	परि.ता.प्र.सं.16/17 (क्र.813/816) दि.27.02.2015 (श्री सुखेन्द्र सिंह "बना")	(1) म.प्र.भोज(मुक्त) विश्वविद्यालय में पदस्थ निदेशक केमीकल साइंस के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर निश्चित समयावधि में विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना। (2) म.प्र.भोज(मुक्त) विश्वविद्यालय में पदस्थ निदेशक केमीकल साइंस के विरुद्ध प्राप्त शिकायत क्र. आर-254/14 की शीघ्र जांच कराई जाकर विधि अनुरूप कार्यवाही किया जाना।	(1) जी हां। "क" के परिपेक्ष्य में प्रकरण की स्थिति यथावत है। (2) शासन स्तर पर प्राप्त शिकायत क्र. आर-254/14 की जांच क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा जांच की जा रही है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची**

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

**उच्च शिक्षा विभाग**

**दिनांक 27.02.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
182	परि.ता.प्र.सं.38 (क्र.1314) दि.27.02.2015 (श्री नारायण सिंह पंवार)	शासकीय महाविद्यालय, ब्यावरा में 100 सीटर कन्या छात्रावास आरंभ कराया जाना।	शासकीय महाविद्यालय, ब्यावरा परिसर में 100 सीटर कन्या छात्रावास के संबंध में प्राचार्य द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।		
183	अता.प्र.सं.38 (क्र.1038) दि.27.02.2015 (श्री निशंक कुमार जैन)	विदिशा जिले के गंजबासोदा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति कराई जाना।	(1) सहायक-प्राध्यापक के रिक्त पदों को भरने हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा दि.09.07.2014 को विज्ञापन जारी किया जा चुका है। जैसे ही चयनित सूची प्राप्त होती है, तो रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकेगी। (2) सहायक-प्राध्यापक पदों के समग्र रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया जा चुका है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

फरवरी-मार्च 2015 सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

उच्च शिक्षा विभाग

दिनांक 27.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
184	अता.प्र.सं.43 (क्र.1115) दि.27.02.2015 (श्री प्रहलाद भारती)	(1) शासकीय महाविद्यालय, पोहरी में स्थायी प्राचार्य की पदस्थापना कराई जाना। (2) शासकीय महाविद्यालय, पोहरी में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र कराई जाना ।	(1) प्राचार्य पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही सेवा भर्ती नियमों में संशोधन प्रक्रियाधीन होने के कारण लंबित है । (2) सहायक प्राध्यापक पदों के समग्र रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन दिनांक 09.07.2014 को जारी किया जा चुका है।		
185	अता.प्र.सं.67 (क्र.1670) दि.27.02.2015 (श्री संजय पाठक)	कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत भवन विहिन शासकीय महाविद्यालय हेतु शीघ्र भवन का निर्माण कराया जाना ।	निक्षेप योजना के अंतर्गत महाविद्यालय के भवन निर्माण संबंधी कार्यवाही कार्य एजेंसी म.प्र.गृह निर्माण मंडल द्वारा प्रक्रियाधीन है ।		
186	अता.प्र.सं.92 (क्र.2707) दि.27.02.2015 (श्री विश्वास सारंग)	रायसेन जिले के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बरेली की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को शीघ्र हटाया जाकर अतिक्रमकों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना ।	सर्वे एवं जांच कराई जाकर यदि पुनः अतिक्रमण है, तो म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची**

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

**खनिज साधन विभाग**

**दिनांक 27.02.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
187	परि.ता.प्र.सं.28 (क्र.983) दि.27.02.2015 (श्री देवेन्द्र वर्मा)	खंडवा जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही करते हुये अर्थदण्ड की शेष राशि ₹20,07,687/- की शीघ्र वसूली किया जाना ।	(1) वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं । (2) शेष वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं ।		
188	परि.ता.प्र.सं.54 (क्र.1585) दि.27.02.2015 (श्री दिनेश राय "मुनमुन")	सिवनी जिले के अंतर्गत दिनांक 01 जनवरी 2010 से 30 जून 2014 तक की अवधि में संचालित रेत खदानों के ठेकेदारों से रायल्टी की बकाया राशि की शीघ्र वसूली किया जाना ।	बकाया वसूली हेतु इन ठेकेदारों को सूचना पत्र जारी कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।		
189	अता.प्र.सं.59 (क्र.1570) दि.27.02.2015 (श्री मधु भगत)	बालाघाट जिले में वर्ष 2012 से फरवरी 2015 तक की अवधि में अवैध रेत उत्खनन के दोषियों के विरुद्ध शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही किया जाना तथा अवैध परिवहन के शेष प्रकरणों में अर्थदण्ड की राशि की वसूली किया जाना।	अवैध रेत उत्खनन के 13 प्रकरण वर्तमान में प्रचलित है । शेष प्रकरण में कार्यवाही प्रचलित है ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची**

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

**खनिज साधन विभाग**

**दिनांक 27.02.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
190	अता.प्र.सं.77 (क्र.1808) दि.27.02.2015 (श्रीमती शीला त्यागी)	रीवा जिले में अवैध रेत उत्खनन तथा फर्शी पत्थर के संबंध में ठेकेदारों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कराई जाकर शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही किया जाना ।	02 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसकी जांच की कार्यवाही की जा रही है ।		



**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची**

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

**सामान्य प्रशासन विभाग**

**दिनांक 27.02.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
191	परि.ता.प्र.सं.32 (क्र.1074) दि.27.02.2015 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह)	भिण्ड नगर स्थित गौरी तालाब के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य शीघ्र कराया जाना।	(1) सरोवर में हरियाली क्षेत्र विकसित करने, विद्युत व्यवस्था, घाटों का निर्माण एवं सी.सी.रोड के निर्माण कार्य का प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। (2) मा.मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं की पूर्ति शासन की एक सतत् प्रक्रिया है।		
192	परि.ता.प्र.सं.79 (क्र.1893) दि.27.02.2015 (श्री बाला बच्चन)	प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण में हुये भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के लिए गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग के जांच प्रतिवेदन पर कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना।	प्रतिवेदन विस्तृत स्वरूप का होने से परीक्षाधीन है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची**

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

**सामान्य प्रशासन विभाग**

**दिनांक 27.02.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>193</b>	अता.प्र.सं.25 (क्र.821) दि.27.02.2015 (श्री सुखेन्द्र सिंह "बना")	निदेशक एवं प्रोफेसर केमीकल साइंस, म.प्र.भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल के विरुद्ध आर्थिक अनियमितता की प्राप्त शिकायत पर शीघ्र विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना ।	(1) शिकायत की सत्यता की जांच हेतु संबंधित संस्था/व्यक्ति को पत्र जारी किया गया है । (2) शिकायत के सत्यापन के पश्चात् प्राप्त साक्ष्य के अनुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकेगी ।		
<b>194</b>	अता.प्र.सं.57 (क्र.1518) दि.27.02.2015 (श्री बाला बच्चन)	(1) दिनांक 01 जनवरी 2012 से फरवरी 2015 तक की अवधि में स्वयंसेवी संस्थाओं के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों की शीघ्र जांच कराई जाना । (2) दिनांक 01 जनवरी 2012 से फरवरी 2015 तक की अवधि में स्वयंसेवी संस्थाओं के विरुद्ध प्राप्त आपराधिक शिकायतों की विवेचना शीघ्र पूर्ण कराई जाकर दोषियों के पंजीयन समाप्त कर विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना।	(1) प्रकरणों की विवेचना जारी है ।  (2) प्रकरण विवेचनाधीन है । विवेचना पूर्ण होने के उपरांत स्वयं सेवी संस्थाओं के दोषी पाये जाने पर उचित कार्यवाही की जावेगी ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची**

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

**सामान्य प्रशासन विभाग**

**दिनांक 27.02.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
195	अता.प्र.सं.62 (क्र.1644) एवं अता.प्र.सं.63 (क्र.1645) दि.27.02.2015 (श्री आरिफ अकील)	(1) केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 52(ए) के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले म.प्र.वक्फ बोर्ड के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध शीघ्र विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना ।  (2) म.प्र.वक्फ बोर्ड द्वारा दि.29.02.2014 को वक्फ बोर्ड के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध दिये गये प्रस्ताव पर शीघ्र विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना ।	(1) श्री शफीकउद्दीन (सैयद), राप्रसे, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वक्फ बोर्ड, भोपाल के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किए गए हैं ।  (2) पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रस्ताव के क्रम में श्री शफीकउद्दीन (सैयद) के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी कर दिए गए हैं।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची**

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

वाणिज्यिक कर विभाग

दिनांक 27.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
196	परि.ता.प्र.सं.50 (क्र.1555) दि.27.02.2015 (श्री मधु भगत)	मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत बालाघाट नगर के मुख्य खेल मैदान पर उत्सव आयोजित करने वाली संस्था से नियमानुसार शीघ्र लंबित करों की वसूली किया जाना ।	उत्सव में आवंटित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लगाए गए स्टॉलों (दुकानों) के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

दिनांक 27.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
197	परि.ता.प्र.सं.58 (क्र.1639) दि.27.02.2015 (श्री आरिफ अकील)	म.प्र.वक्फ बोर्ड के अवैध लीज एवं किरायेदारी के 79 प्रकरणों में अनियमितता के दोषी अधिकारी के विरुद्ध शीघ्र जांच कराई जाकर विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना ।	प्राप्त सभी प्रस्तावों के क्रम में श्री शफीकउद्दीन(सैयद) के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत आरोप पत्रादि जारी किए जा चुके हैं ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय  
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

जल संसाधन विभाग

दिनांक 27.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
198	परि.ता.प्र.सं.62 (क्र.1665) दि.27.02.2015 (श्री संजय पाठक)	कटनी जिले की जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ की ग्राम पंचायत चौरी के अंतर्गत ग्राम चौरा-कनेरा के समीप निर्धारित समयावधि में पुल निर्माण कराया जाना ।	वर्षा ऋतु तक निर्माण कराने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय  
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

नर्मदा घाटी विकास विभाग

दिनांक 27.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
199	अता.प्र.सं.71 (क्र.1698) दि.27.02.2015 (श्री सचिन यादव)	खरगौन जिले में इंदिरा सागर परियोजना की माईनरों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना ।	माईनरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, शीघ्र पूर्ण किया जावेगा ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची**

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

**नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग**

**दिनांक 27.02.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
200	अता.प्र.सं.91 (क्र.2598) दि.27.02.2015 (श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल)	प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के समुचित संचालन, मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु आई.टी.आई. संस्थानों के माध्यम से तकनीकी पाठ्यक्रम प्रारंभ कराया जाना ।	गैर परम्परागत ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत नवकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के संचालन, मरम्मत एवं रखरखाव विषय पर आई.टी.आई. संस्थानों में पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग से चर्चा की जाकर पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का निर्धारण करने पर विचार किया जा रहा है ।		